न्यायालयः सिविल जज(जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिलहर, शाहजहॉपुर।

उपस्थितः चेतना सिंह, (उ0प्र0न्यायिक सेवा),

वाद सं0–1373/2011,

मु0अ0सं0–151/2010

राज्य बनाम 1–सन्तराम पुत्र दाताराम।
2–नरवीर
3–रामौतार } पुत्रगण मथुरा प्रसाद
4–अमर सिंह

धारा–323,427,506 भा0दं0सं0,

थाना–मदनापुर, शाहजहॉपुर।

निर्णय

थाना मदनापुर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण "सन्तराम, नरवीर, रामौतार व अमर सिंह" के विरूद्ध आरोप–पत्र अंतर्गत धारा–323,427,506 भा0दं0सं0 प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर यह विचारण योजित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी की खेती मझोला गौंटिया पुलिस चौकी बरूआ थान मदनापुर तहसील जलालाबाद शाहजहॉपुर में है। उसके खेतों से सटे हुये विपक्षीगण के मकानात है, जोकि काफी दबंग व अपराधी प्रकृति के लोग है। वह अपने खेतों में खड़ी गेंहू आदि की फसल को जानवरों आदि से बचाने हेतु रखवाती करता है। दिनांक 23.01.2010 को वह अपने खेतों की रखवाली कर रहा था, तो सुबह करीब 5 बजे उक्त विपक्षीगण ने अपने घरों से अपने– अपने जानवर खोल दिये और उसके खेतों में घुसा दिये। उसने जब उन्हें भगाना शुरू किया और गेंहू की फसल नष्ट होने की शिकायत विपक्षीगण से की तो सभी एकजुट होकर अपने अपने हाथों में लाठी, भाला, तमंचा, बंदूक व राइफल आदि लेकर उस पर हमलावर हुये और उसको लाठियों से लात घूंसों से मारापीटा। उसके शोर पर उसके गांव के नन्हें व जगवीर भी अपने खेतों की रखवाली कर थे, ने मुल्जिमानों को ललकारा और गांव वालों को बचाने के लिये पुकारा तो मुल्जिमान जान से मार देने की धमकी देते हुये अपने घरों में घुस गये। मारपीट से वादी को चोटे आयी थी। जिसकी सूचना उसने थाने पर दी थी। लेकिन पुलिस ने 151 दं0प्र0सं0 में उनका चालान किया गया था। दिनांक 27.01.2010 को पुनः उक्त विपक्षीगण समय करीब 03.00 बजे दोपहर बाद जब वह अपने खेत पर पहुंचा और खेतों की रखवाली कर रहा था, तो एक जुट होकर अनिल, संतराम के हाथों में तमंचे, अमर सिंह के हाथ में बंदूक व नरवीर के हाथ में राइफल तथा दाताराम व ओमवीर के हाथ में लाठियॉ और रामऔतार के हाथ में भाला था। उसको जान से मार देने की नियत से उस पर हमला कर दिया और हथियार बंद लोगो ने जान से मार देने की नियत से उस पर फायर किया। फायर की आवाज से गांव में अन्य लोग जो अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे, ने उन्हें ललकारा तो उपरोक्त लोग उसे जान से मारने की धमकी दी तथा खेतों को नष्ट करने की चेतवानी दी तथा खेत के इधर दोबारा न आने की धमकी दी। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की गयी है कि उपरोक्त लोगो के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

वादी मुकदमा श्री लालाराम की लिखित तहरीरी रिपोर्ट के आधार पर घटना से सम्बंधित थाना–मदनापुर पर अभियुक्तगण "दाताराम, सन्तराम, नरवीर, रामौतार, अमर सिंह, अनिल व ओमवीर" के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0–151/10, अंतर्गत 147, 323, 506, 427 भा0दं0सं0 पंजीकृत किया गया। विवेचक ने नियमानुसार घटना स्थल का निरीक्षण किया एवं गवाहान के बयान अंकित किए एवं बाद समाप्ति विवेचना विवेचक ने आरोप–पत्र विरूद्ध अभियुक्तगण "सन्तराम, नरवीर, रामौतार व अमर सिंह" के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0–151/10, अंतर्गत धारा–323,427,506 भा0दं0सं0 न्यायालय में परीक्षण हेतु प्रेषित किया।

अभियुक्तगण को न्यायालय आहूत किया गया। बाद उपस्थिति अभियुक्तगण को सभी सम्बंधित कागजात की नकलें प्रदान की गईं एवं अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–323/34, 427, 506(2) भा0दं0सं0 में विरचित किये गये। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोप से इंकार किया तथा विचारण की मांग की।

अभियोजन पक्ष की ओर से लालाराम वादी मुकदमा स्वयं को पी0डब्लू0–1 के रूप, सूरजपाल को पी0डब्लू0–2 के रूप में एवं रामदयाल को पी0डब्लू0–3 के रूप मे परीक्षित कराया गया। अन्य कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से पेश नहीं किया गया। बचाव पक्ष की ओर अभियोजन प्रपत्रों के निष्पादन की औपचारिक सत्यता को स्वीकार किया गया एवं प्रदर्श डाले गये। अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्ष्य पेश न किए जाने के कारण अभियोजन का साक्ष्य समाप्त किया गया।

अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 लेखबद्ध किया गया। अभियुक्तगण ने मुकदमा गलत एवं रंजिशन चलना बताया और सफाई में कुछ भी कहने से इंकार किया।

मैंने विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी व बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को विस्तार से सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियोजन की ओर से लालाराम को पी0डब्लू0–1 के रूप में परीरिक्षत कराया गया जो कि वादी मुकदमा भी है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि उसके खेतों के बगल में संतराम, नरवीर, रामौतार व अमर सिंह के घर है। उपरोक्त लोग उसके खेतों में अपने जानवर प्रवेश कराकर खेती चरा लेते थे। वह अपने घर से जाकर खेतों की रखवाली करता था। दिनांक 23.01.2010 को वह अपने खेतों की रखवाली कर रहा था। सुबह 5 बजे थे मुल्जिमान उपरोक्त ने अपने घरों से जानवर खोलकर उसके खेतों में प्रवेश करा दिये। जब उसने विरोध किया तो उक्त लोग अपने हाथों में लाठी और अन्य असलाह लेकर उसके ऊपर हमलावर हो गये और मारना पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आस पास के लोग आ गये। तो उपरोक्त लोग जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। उसने पुलिस चौकी पर सूचना दी। पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की। दिनांक 27.01.2010 को शाम 3 बजे जब वह अपने खेतों पर था तो मुलिजमान उपरोक्त ने फिर से उसके ऊपर हमला कर दिया और मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। पुरः थाने पर सूचना दी, कोई कार्यवाही नहीं हुयी। कप्तान साहब को प्रार्थना पत्र दिया। कोई कार्यवाही नहीं हुयी। तब वकील साहब से मिलकर अदालत से विचेना का आदेश करवाया था। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्रं0सं0 मूल रूप में पत्रावली में

शामिल है। जिस पर हस्ताक्षर की पुष्टि गवाह ने की तथा प्रदर्श क–1 डाला गया। दरोगा जी ने बयान लिये थे।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–1 लालाराम ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सशपथ बयान किया है कि मुल्जिमान व उसकी जमीन अगल बगल है। थोड़ा बहुत विावद था। जिसके कारण उनका वाद विवाद होता रहता था। वकील साहब से मिलकर उसने जमीन का विवाद की बात बतायी तब वकील साहब ने अदालत में प्रार्थना पत्र दे दिया था। वह थाने कभी नहीं गया। कप्तान साहब के पास भी नहीं गया था। वकील साहब ने अदालत में दिये प्रार्थना पत्र में क्या लिखा था। उसे नहीं पता हाजिर अदालत मुल्जिमान संतराम, नरवीर रामौतार व अमर सिंह ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी। न ही उसकी फसलों को नुकसान पहुंचाया था और न ही जान से मारने की धमकी दी थी। मुल्जिमान से उसका मेल जोल हो गया है। गांव के लोगो ने उन्हें समझा दिया है।

अभियोजन की ओर से सूरजपाल को साक्षी पी0डब्लू0–2 के रूप में परीरिक्षत कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि उसने कोई घटना नहीं देख । वह मौके पर नहीं था। वह वादी मुकदमा व मल्जिमान के बीच के किसी वाद विवाद को नहीं जानता। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया।

अभियोजन की ओर से साक्षी पी0डब्लू0–2 सूरजपाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सशपथ बयान किया है कि गवाह को उसको अन्तर्गत धारा–161 सी0आर0पी0सी का बयान पढ़कर सुनाया गया, तो उसने कहा कि उसने दरोगा जी को कोई बयान नहीं दिया था। कैसे लिख लिया, वजह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि ऐसी कोई घटना हुयी हो और मुल्जिमान से समझौता हो जाने के कारण सही बात नहीं बता रहा है।

अभियोजन की ओर से साक्षी पी0डब्लू0–3 राम दयाल को परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि वह मौके पर उपस्थित नहीं था तथा उसने किसी प्रकार की कोई घटना नहीं देखी। अभियुक्तगण व वादी के बीच किसी घटना की उसे कोई जानकारी नहीं है।

अभियोजन की ओर से पी0डब्लू0–3 राम दयाल ने अपनी प्रतिपरीक्षा में सशपथ बयान किया है कि साक्षी ाके बयान 161 दं0प्रं0सं0 पढ़कर सुनाया गया तो उसने कहा कि उसका कोई बयान दरोगा जी ने नहीं लिया था। कैसे लिख लिया, वजह नहीं बता सकता है। यह कहना गलत है कि कोई भी घटना हुयी हो ओर अभियुक्तगण से राजीनामा की वजह से बात नहीं बता रहा है।

विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि "मात्र एक साक्षी के साक्ष्य के आधार पर भी अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जा सकता है, यदि उसका साक्ष्य विश्वसनीय हो और गुणवत्तापूर्ण हो। ऐसा ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–134 प्रावधानित करती है। वह साक्षियों की संख्या नहीं, बल्कि साक्ष्य की गुणवत्ता पर बल देती है।" इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से मात्र 3 साक्षी परीक्षित कराये गये है। साक्षी सं0 1 जोकि वादी/ पीड़ित भी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है, परन्तु प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया है कि मुल्जिमान व उसके बीच जमीन का विवाद था। जिस कारण उनका वाद विवाद होता रहता था। जब उसने यह बात वकील साहब को

बतायी, तो वकील साहब ने अदालत में प्रार्थना पत्र दे दिया था। वकील साहब ने अदालत में दिये प्रार्थना पत्र में क्या लिखा था, उसे नहीं पता। हाजिर अदालत मुल्जिमान संतराम, नरवीर, रामौतार व अमर सिंह ने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की थी, न ही उसकी फसलों को नुकसान पहुंचाया था और न ही जान से मारने की धमकी दी थी। अभियोजन साक्षी सं0 2 व 3 ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा ऐसी कोई घटना होने से इंकार किया गया है तथा प्रतिपरीक्षा में बयान 161 दं0प्रं0सं0 से इंकार किया गया है। अभियोजन साक्षी सं0 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में घटना से इंकार किया है तथा साक्षी सं0 2 व 3 के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में घटना से इंकार किया है। ऐसे में अभियोजन साक्षीगण के बयानों में घोर विरोधाभास है। जोकि तात्विक विरोधाभास है। इस प्रकार अभियोजन साक्षी सं0 2 व 3 को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया। ऐसे में साक्षीगण के बयानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है और ऐसे अविश्वसनीय व अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोजन पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के उपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूँ कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–323/34, 427, 506(2) भा0दं0सं0 युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण "सन्तराम, नरवीर, रामौतार व अमर सिंह" दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण "सन्तराम, नरवीर, रामौतार व अमर सिंह" को वाद सं0–1373/11, मु0अ0सं0–151/10, धारा–323/34, 427, 506(2) भा0दं0सं0 के आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके जमानतनामे निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वे धारा–437ए दं0प्र0सं0 के अनुपालन में 20,000 की पी0बी0 व एक जमानत दाखिल करे। जो 6 माह की अवधि तक अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।

दिनांकः–30–05–2018

(चेतना सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिलहर,
शाहजहॉपुर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षारित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांकः–30–05–2018

(चेतना सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, तिलहर,
शाहजहॉपुर।